संख्या–2796/33–3–2015–03/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 09 अक्टूबर, 2015

विषयः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं निर्मित बाल मैत्रिक शौचालयों के रख–रखाव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि पूर्व के वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं बाल मैत्रिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं होने के कारण निर्मित केन्द्रों एवं बाल मैत्रिक शौचालयों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो गयी है, परिणाम स्वरूप उसकी वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उक्त हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से उनके अनुरक्षण की व्यवस्था किया जाय।

2– पंचायतीराज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याः 1639/33–3–2015–03 /2015 दिनांक 19 जून, 2015 एवं शासनादेश संख्याः 1838/33– 3–2015–03/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 के पैरा–4 में यह व्यवस्था की गयी है कि "ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रख रखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अधावधिक किया जायेगा तथा अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा–पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गो, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव करने में सक्षम होंगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेगें।"

3306

निदेशक (पं0)

निदेशक 12/10/15

(एस0 ... सिंह)
उपनिदेशक ... Jaigovind Pandey
पंचायती राज, उ0प्र0

3— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व के वर्षो में निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं निर्मित बाल मैत्रिक शौचालयों का मरम्मत कराना सुनिश्चित कराया जाए तथा नये निर्मित कराये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के निमार्ण मे निर्धारित ग्राम पंचायत अंश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध धनराशि से दिया जा सकता है।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

संख्याः 5/ /1/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासनं।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव,

Jaigovind Pandey